न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 131/2018 दायरा दिनांक : 20.08.2018

उनवान

1. रणसिंह पुत्र उंकार लाल जाति आंजना,
2. सज्जन सिंह पुत्र उंकार लाल जाति आंजना,
3. करण सिंह पुत्र उंकार लाल जाति आंजना,
4. गोपाल सिंह पुत्र उंकार लाल जाति आंजना,

अकवाम निवासीगण ग्राम ढाबला, तह0 गंगधार जिला झालावाड़ राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती राजू बाई पत्नि विक्रम सिंह, जाति आंजना,
2. सपना पुत्री विक्रम सिंह जाति आंजना
3. पूजा पुत्री विक्रम सिंह नाबालिग जाति आंजना जरिये वली माता राजू बाई
4. अन्नू पुत्री विक्रम सिंह नाबालिग जाति आंजना जरिये वली माता राजू बाई
5. विक्रम सिंह पुत्र उंकार लाल जाति आंजना
6. उंकार लाल पुत्र गुलाब सिंह जाति आंजना
7. शामू बाई पुत्री उंकार लाल जाति आंजना
8. बालू पुत्र शंकर लाल जाति आंजना
9. ईश्वर लाल पुत्र शंकर लाल जाति आंजना
10. राहुल पुत्र शंकरलाल नाबालिग जरिये वली माता हेमू बाई जाति आंजना
11. हेमू बाई बेवा शंकर लाल जाति आंजना अकवाम निवासीगण ग्राम ढाबला, तह0 गंगधार जिला झालावाड़ राज0
12. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तह0 गंगधार जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज०)

उपस्थित – श्री **चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री **वी0एस0 भटनागर** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 15–12–2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या –2017/00031 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में पत्रावजी अपीलांट की सहमति के बिना ही राजस्व लोक अदालत केम्प कछनारा में रख ली एवं एकतरफा रूप से मौके पर ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी मान ली, और मौखिक साक्ष्य के आाधार पर ही आराजी पैतृक होना सिद्ध मानकर रेस्पो0 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री पारित करने का आदेश में त्रुटि की है। विवादित आराजी के मामले में अपीलांट सहमत नहीं थे, इसलिये राजस्व लोक अदालत नही गये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार से विवादित आराजी के बारे में रेस्पो0 का वाद डिक्री कर दिया लो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पूर्णतया अनदेखी की है। अपीलांट को न जवाब का अवसर दिया और न ही साक्ष्य का अवसर दिया, और राजस्व लोक अदालत में अवैधानिक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। विवादित आराजी के मामले में रेस्पो0 के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिसके आधार पर विवादित आराजी पुश्तैनी साबित हो एवं रेस्पो0 1 लगायत 4 के पिता विक्रम सिंह की मौलूदगी में विक्रम सिंह की पत्नि का कोई हक व अधिकार नहीं बनता। विवादित आराजी के सन्दर्भ में ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नहीं हुआ जिसके आधार पर विवादित आराजी को पुश्तैनी आराजी माना जा सके। विक्रम सिंह के जीवनकाल में राजू बाई का कोई हक व अधिकार नहीं बनता।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12–05–2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः रेकार्ड का गहन अवलोकन कर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिपूर्वक निर्णय पारित करे। पक्षकारों को पाबंद किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–02–2021 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 15–12–2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा